न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जिला झुंझुनू (राजस्थान)

(पीठासीन अधिकारी : श्री हवाई सिंह यादव, आरएएस)

प्रकरण संख्या : 125/2018

रामनाथ बनाम भूमि अधिकारी वगै0

1. रामनाथ पुत्र भूदर, उम्र वर्ष, जाति जाट, निवासी इण्डाली, तहसील व जिला झुन्झुनू (राज) (दौराने दावा मृत्यु)

1/1 रजवण देवी, उम्र 60 वर्ष, पत्नी रामनाथ

1/2 रणवीर उम्र 45 वर्ष पुत्र श्री रामनाथ

1/3 महेन्द्र उम्र 42 वर्ष पुत्र रामनाथ

1/4 राजेश उम्र 40 वर्ष पुत्र रामनाथ

1/5 राजीव उम्र 30 वर्ष पुत्र रामनाथ

समस्त जाति जाट, निवासी इण्डाली, तहसील व जिला झुंझुनूं (राज)

प्रार्थीगण

बनाम

1. भूमि अधिकारी राजस्थान सरकार, जरिये तहसीलदार, झुन्झुनू जिला झुन्झुनू (राज.)
2. कमला पत्नी ताराचन्द्र
3. जगदीश पुत्र बीरबल
4. मदन पुत्र बीरबल
5. महेश कुमार पुत्र ताराचन्द
6. राकेश पुत्र ताराचन्द

समस्त जाति जाट समस्त निवासीगण ग्राम इण्डाली तहसील व जिला झुंझुनूं

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अ. धारा 136, 111 व 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत

बाबत नक्शाशीट दुरूस्ती व सीमाज्ञान व पत्थरगढ़ी करवाने

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र निम्न आशय का पेश किया गया कि राजस्व ग्राम इण्डाली के गत खसरा नम्बर 131/1, 388/1, 390/1, 389, 400, 391/2 कुल खसरा 6 कुल रकबा 38 बीघा 6 बिश्वा भूमि का प्रार्थी खातेदार काश्तकार है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र गत खसरा नं. 400 रकबा 10 बीघा 19 बिश्वा जिसके हाल खसरा नं. 1224 रकबा 2.77 हैक्टर के नक्शा शीट दुरूस्ती व उक्त खसरा के पश्चिमी दिशा का सीमाज्ञान व पश्चिमी दिशा में पत्थरगढी करवाने के लिये प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रार्थी के खेत हाल खसरा नं. 1224 के पश्चिमी सीमा पर हाल खसरा नं. 1223 गैर मुमकिन रास्ता स्थित है। हाल खसरा नं. 1223 गैर मुमकिन रास्ता दौराने सैटलमेन्ट गत खसरा नं. 399 से कायम हुआ है। दौराने सेटलमेन्ट ही उक्त रास्ता गैर मुमकिन कटानी दर्ज हुआ है। गत्त खसरा नं 399 प्रार्थी की खातेदारी की भूमि नहीं रही है तथा हाल खसरा नं. 1223 भी प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज नहीं है। दौराने सेटलमेन्ट गत खसरा नं. 399 से कायम हुये खसरा नं 1223 को सेटलमेन्ट विभाग द्वारा प्रार्थी के गत खसरा नं. 400 जिसके हाल खसरा नं. 1224 है, की नई नक्शाशीट में उक्त रास्ता गलत दर्ज कर दिया गया। प्रार्थी के खातेदारी के खेत गत खसरा नं 400 की गत नक्शाशीट में पश्चिमी सीमा से पूर्वी सीमा की चौडाई हाल नक्शाशीट में खसरा न 1224 में कम कर दी गई। इस प्रकार प्रार्थी के खातेदारी के खेत गत खसरा नं 400 की पश्चिमी दिशा की सीमा हाल खसरा न 1224 की हाल नक्शा शीट में प्रार्थी के खेत के अन्दर की ओर क्रमशः 13 फीट, 39 फीट, 52 फीट उतर से दक्षिण दिशा की तरफ सीमा कायम कर नई नक्शाशीट गत नक्शा शीट से छोटी कायम की गई है।

उपखण्ड अधिकारी
झुन्झुनू (राज.)

प्रार्थी के खेत गत खसरा नं 400 की जमीन का भू–प्रबंध कार्यवाही सन् 1990–91 में नया राजस्व रिकार्ड व नइ राजस्व नक्शा शीट बनाई गयी थी। प्रार्थी के खेत गत असरा नं 400 की भूमि की गत नक्शा शीट सन् 1936–37 (सम्वत 1993) के मुताबिक वर्तमान नक्शा शीट पुरानी नक्शा शीट के क्षेत्रफल व माप के बराबर भू–प्रबंध विभाग द्वारा तैयार नहीं की गयी। भू–प्रबंध विभाग द्वारा दौराने भू–प्रबंध कार्यवाही प्रार्थी के खेत गत खसरा नं. 400 की वर्तमान नक्शा शीट गत नक्शा शीट एवं क्षेत्रफल के बराबर नहीं बनाई गयी। भू–प्रबंध विभाग द्वारा वर्तमान नक्शा शीट गत नक्शा शीट के अनुसार ही बनाई जानी चाहिये थी वर्तमान नक्शा शीट भू प्रबंध विभाग द्वारा लिपिकीय भूल व सहवन से गत नक्शा शीट के क्षेत्रफल व सीमा के अनुसार तैयार नहीं की गयी। प्रार्थी की जमीन गत खसरा नं 400 की गत नक्शा शीट का हाल खसरा नं. 1224 की वर्तमान नक्शा शीट से मिलान करने पर प्रार्थी के खेत के पश्चिमी दिशा की सीमा की तरफ वर्तमान नक्शा शीट हाल खसरा नम्बर 1224 के अन्दर पश्चिमी सीमा कायम कर वर्तमान नक्शा शीट माप में छोटी बनाई गयी है। सैटलमेन्ट विभाग को दौराने सैटलमेन्ट पुराने रिकार्ड की पुनरावृति मय समस्त परिवर्तन की परिविष्टी से नया राजस्व रिकार्ड कायम करना पड़ता है। सैटलमेन्ट विभाग को बिना सक्षम न्यायालय के आदेश के राजस्व रिकार्ड (नक्शा शीट) में परिवर्तन करने का कोई अधिकार नहीं था। अप्रार्थी द्वारा दिनांक 27.08.2018 को प्रार्थी के खेत हाल खसरा नं 1224 की पश्चिमी सीमा पर प्रार्थी द्वारा की गई तारबन्दी व पोल जे.सी.बी. से हटा दिये गये तथा प्रार्थी की फसल में से रास्ता कायम कर दिया गया। अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी के खेत हाल खसरा नं. 1224 की पश्चिमी दिशा से तारबन्दी व पोल हटाने व रास्ता कायम करने के बाबत कोई मौखिक व लिखित सूचना प्रार्थी को दिनांक 27.08.2018 पहले नहीं दी गई। प्रार्थी के खेत की पश्चिमी दिशा की तारबन्दी व पोल हटाने व प्रार्थी के खेत में से फसल को नुकसान कारित कर जबरदस्ती रास्ता कायम करने से पूर्व अप्रार्थी द्वारा मौके पर हाल खसरा नं. 1224 व रास्ता की भूमि खसरा नं. 1223 का सीमाज्ञान नहीं किया गया। अप्रार्थी द्वारा दिनांक 27.08.2018 को खसरा नं. 1223 के रास्ते के बाबत अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही के दौरान केवल प्रार्थी के खेत की पश्चिमी दिशा की तारबन्दी व पोल हटाने व जबरदस्ती रास्ता कायम करने के अलावा तथाकथित झूठी शिकायत के सम्बन्ध में सम्पूर्ण रास्ते बाबत सीमाज्ञान कर कोई अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही नही की गई। अप्रार्थी द्वारा दिनांक 27.08.2018 को प्रार्थी के खेत हाल खसरा न 1224 में अवैध रूप से की गई कार्यवाही से प्रार्थी को तारबन्दी व पोल व फसल नष्ट होने से लगभग 20–30 हजार रूपये का नुकसान अप्रार्थी द्वारा कारित हुआ था। प्रार्थना पत्र की मद सं. 9 व 10 में दर्ज कार्यवाही के बाद प्रार्थी द्वारा राजस्व रिकॉर्ड व अप्रार्थी द्वारा की गई कार्यवाही की प्रमाणित प्रतिलिपियां प्राप्त करने पर सर्वप्रथम जानकारी हुई कि प्रार्थी के गत खसरा नं. 400 की गत नक्शा शीट के मुताबिक प्रार्थी के हाल खसरा नं. 1224 की हाल नक्शा शीट में पश्चिमी सीमा सेटलमेन्ट विभाग द्वारा दौराने सेटलमेन्ट प्रार्थी के हाल खसरा नं. 1224 के अन्दर की तरफ पश्चिमी सीमा कायम कर हाल नक्शाशीट गत नक्शा शीट से छोटी बना दी गई है। प्रार्थना पत्र में वर्णित अनुसार प्राथर्थी को पुरानी नक्शा शीट च वर्तमान नक्शा शीट में अन्तर होने व नई नक्शा शीट छोटी बनाये जाने की प्रथम बार जानकारी होने पर तथा उक्त खेत की पश्चिमी सीमा में आवारा पशुओं से फसल की सुरक्षा के लिये तारबन्दी कर बाड़ करने के लिये सीमाज्ञान व पत्थरगढ़ी करवाना जरूरी होने से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। भू–प्रबंध विभाग को दौराने भू–प्रबंध पुराने राजस्व रिकार्ड की पुनरावृति करते हुये भू–प्रबंध कार्यवाही करनी होती है भू–प्रबंध विभाग द्वारा हुई लिपिकीय भूल व त्रुटी को प्रार्थी शुद्ध करवाकर राजस्व रिकॉर्ड नक्शा शीट दुरूस्त करवाने तथा सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगढ़ी करवाने का कानून अधिकारी है।

उक्तानुसार प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस जबाबदेही हेतु तलब किया गया। तहसीलदार से रिपोर्ट मंगवाने हेतु तहरीर जारी की गई। दौराने प्रार्थना पत्र प्रार्थी का देहान्त हो जाने के कारण उनके वारिसान को रिकॉर्ड पर लिया गया। वकील प्रार्थी ने दौराने प्रार्थना पत्र सीमाज्ञान व पथरगडी का अनुतोष विड्रॉ कर लिया। न्यायालय द्वारा दिनांक 4.09.2024 को पड़ौसी खसरा नं. 1222, 1223 के खातेदारों को पक्षकार बनाया गया। अनावेदकगण 4 लगायत 6 की ओर से एडवोकेट नगेश कुमार द्वारा वकालतनामा व जबाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया। जबाब में अधिवक्ता ने उल्लेखित किया कि खसरा नं. 1223 गै0 मु0 रास्ता गत खसरा नं. 399 व 400 दोनों से कायम हुआ है तथा तहसीलदार द्वारा दिनांक 27.08.2018 को नियमानुसार नपती कर रास्ते पर से अतिक्रमण हटवाया गया था। तहसीलदार ने रिपोर्ट पत्र क्रमांक भ0अ0/2024/280 दिनांक 09.07.2024 से न्यायालय में पेश की। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र सिंह बुडानिया तथा अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री नगेश कुमार उपस्थित आये। बहस प्रार्थना पत्र पर सुना गया। बहस सुनी जाकर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध नक्शा सीटों का अवलोकन करने से जाहिर है कि वर्तमान नक्शा सीट गत नक्शा सीट से छोटी बनी हुई है। संलग्न तहसीलदार रिपोर्ट से भी वर्तमान नक्शा सीट

उपखण्ड अधिकारी
झुन्झुनू (राज.)

नक्शा सीट से छोटी बनी होना स्पष्ट है। अतः बाद अवलोकन पत्रावली प्रार्थना पत्र प्रार्थी साबित होने स्वीकार किया जाना न्यायालय मत पर न्यायसंगत प्रतीत होता है।

–: आदेश :–

प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम इण्डाली तहसील झुंझुनूं के हाल भूमि खसरा नम्बर 1224 की नक्शा सीट सन् 1990–91 को गत खसरा नं. 400 की नक्शा सीट सन् 1936–37 के अनुसार दुरूस्ती के आदेश दिये जाते हैं। तदनुसार तहसीलदार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें। निर्णय की पालना हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम हो तथा बाद तामील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 21/2/25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

(हवाई सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी, झुन्झुनूं

उपखण्ड अधिकारी
झुन्झुनू (राज.)